उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-06/2020/आडिट-1-305/दस-2020-308(1)/2020
लखनऊ : दिनांक 26 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित जनपद में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णकालिक रूप से तैनात करते हुए कालम-4 में अंकित संस्था का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपे जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	जनपद	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री घनश्याम गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़	आजमगढ़	सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़।
2	श्री मुकुल गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, रमाला, बागपत	बागपत	सहकारी चीनी मिल, रमाला, बागपत

2- उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-06/2020/आडिट-1-305(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4- सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in